



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-89 / 2022
दिनांक : 06.08.2022

सूचना

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक अधिकारियों, कर्मियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2022 तक "हर घर तिरंगा" अभियान के अंतर्गत अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराया जाना है।

"हर घर तिरंगा" अभियान के अंतर्गत अपने-अपने घरों पर फहराने के लिए तिरंगा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे प्रतिकुलपति (प्रो. चंद्रकांत रागीट) कार्यालय में मांगपत्र देकर दिनांक 08.08.2022 से 12.08.2022 तक प्राप्त किया जा सकता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक अधिकारी, कर्मी

06/08/22

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त विद्यापीठ, विभाग, अनुभाग
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली